>

Title: Need for intervention in the matter of alleged illegal immigration case of Mrs. Sandeep Kaur.

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। श्रीमती संदीप कौर, जो उत्तराखंड के देहरादून जिले की निवासी हैं। इनका विवाह श्री सच्चै नरूला के साथ भैनी साहब पंजाब में सिख रीति-रिवाज के अनुसार वर्ष 2011 में सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद श्रीमती कौर अपने पति के साथ थाईलैंड चली गईं और उन्होंने यहां से जो मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, उसको उनके पति और पति के परिवार वालों ने थाइलैंड में रजिस्टर्ड करवाया था। आज उनके दो बच्चे हैं और नौ साल के बाद उनको बताया जा रहा है कि ये फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाकर आई हैं, जबकि वे एक विधवा महिला की पुत्री हैं, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं था। ससुराल वाले यहां आए थे। ससुराल वालों ने ही उनका सर्टिफिकेट बनाया था और उसको थाइलैंड में रजिस्टर्ड करवाया था। थाइलैंड के जो इमीग्रेशन ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट को नौ साल के बाद फर्जी बताया है तथा श्रीमती कौर को एक दिन के लिए कस्टडी में ले लिया है।

उनको हर 15 दिन में उपस्थित होने के लिए कहा है। संदीप कौर पर अवैध रूप से थाइलैण्ड में घुसपैठ करने का केस दर्ज किया जा रहा है। भारत की किसी बेटी के साथ ऐसा न हो, जिस तरह से उत्तराखण्ड की बेटी के साथ

हुआ है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करके उनको न्याय दिलाया जाए।